# राजस्थान सरकार
## कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
## शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
## उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ.1( 535 )/आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट.III/12          जयपुर, दिनांक 15-07-2019

:: आदेश ::

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के प्रावधानानुसार निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा में **दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (जिला उद्योग अधिकारी)** के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर महामहित राज्यपाल महोदय की ओर से एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि पदस्थापन स्थान पर रिपोर्ट करने की तिथि के अनुसार होगी:–

| क्र. सं. | मेरिट सं. | रोल नम्बर | अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/श्रीमती/श्री) | श्रेणी | जन्मतिथि | पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | 211074 | दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, 208, एवेन्यू–4, गोम डिफेन्स, वैशाली नगर, जयपुर | GE, RG | 15.03.83 | जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा |
| 2 | 363 | 206224 | सुशील कुमार शर्मा पुत्र श्री सागरमल शर्मा, सूर्य टेम्पल, भैरव भवानी चौक, लक्ष्मणगढ़, सीकर–332311, | GE, RG | 10.07.85 | जिला उद्योग केन्द्र, झुंझुनू |
| 3 | 377 | 207960 | अतुल शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा, 69 अखिल नगर, ईएचसीसी अस्पताल के पास, जयपुर–302017 | GE | 18.07.91 | जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ |
| 4 | 393 | 215558 | विपुल चौधरी पुत्र श्री विजय सिंह, 3467 भुतावा, वा.नं.–6, बिलाड़ा, जिला–जोधपुर, राजस्थान–342602 | BC | 10.01.91 | जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी |
| 5 | 395 | 207081 | भूराराम पुत्र श्री रामलाल, द्वारा रामलाल डेल्लू, जाट कॉलोनी, समदड़ी रोड, उच्च प्रा.विद्यालय संख्या–8, बालोतरा (बाड़मेर) राजस्थान, 344022 | BC | 06.02.94 | जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर |
| 6 | 926 | 206840 | दीपक कुमार मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, 8/259, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान–302017 | ST | 18.06.88 | जिला उद्योग केन्द्र, भरतपुर |

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:–

1. उक्त सेवा आवंटन एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 18767/2018 नवीन तिलोटिया बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.18 डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4455/2018 ज्योति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी.(सी) संख्या 3595/17 शिवराम

सत्यमेव जयते

# राजस्थान सरकार
## कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
## शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
## उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

---

सिंह चौधरी बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.08.17 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 11200/2010 कन्हैयालाल बनाम आयोग एवं 6744/2008 आयोग बनाम निःशक्तजन आयोग (मयंक मोदी प्रकरण), एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या–12879/2018 प्रवीण कुमार चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश 27.08.2018, सिविल रिट पिटीशन संख्या 16032/2017 शैलेन्द्र सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018, उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति याचिका 21910/2018 (गरिमा शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार), विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 ( मानसी तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार ) एवं विशेष अनुमति याचिका संख्या 6084–6093/2016 (हनुमान जाट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार ) तथा इस परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दि. 08.06.2015 एवं 30.10.17 के अनुसारण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25585/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीखें वे ही है जो परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
4. उक्त नियुक्तियां राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1966 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन होंगी।
5. यह नियुक्ति अस्थाई है। सभी अभ्यर्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम–1966 के नियम–30 के अन्तर्गत 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल में रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है।
6. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी) होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
7. उक्त अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यार्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर त्यागपत्र दे देता या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त की गई राशि वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यार्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
9. किसी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अर्थात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

सत्यमेव जयते

## राजस्थान सरकार
## कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
## शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
## उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

10. राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग, राज., जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.8 (1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के अनुसार दिनांक 01.04.2003 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर पूर्व से चले आ रहे पेंशन नियम लागू नहीं होंगे अपितु अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें हरीशचन्दग माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तय छात्रावास में प्रशिक्षण के दौरान निवास करना अनिवार्य है।
12. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण–पत्र संतोषजनक जाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। बकाया रिपोर्ट प्राप्त होने तक अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रोविजनल मानी जावेगी।
13. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित हैं उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
14. उक्त अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यार्थी नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक : एफ.1( 535 )/आ.उ./पीएडीअनु/सीधी भर्ती/पार्ट.III/12 जयपुर, दिनांक 15-07-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उद्योग मंत्री, राज., सरकार।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान रीपा, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग (एमएसएमई)
6. संबंधित अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन) मुख्यालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर) को विभाग की वेबसाईट हेतु।
9. संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि नवनियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो विवाहित हैं उनसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना तथा कोई आपराधिक प्रकरण बकाया नहीं होने के संबंध में स्वघोषणा पत्र तथा दहेज एवं धूम्रपान नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र उपस्थिति के समय प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं इन अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह का विभागीय प्रशिक्षण देने के पश्चात ही कार्य आवंटित करें।
10. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

15/7/2019
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग